मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 08/01/2025

क्रमांक 51 /एफ 1–1–1/0001/2024/1/59: विभागीय अद्योसंरचना में स्वीकृत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्व लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित 523 आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की पदस्थापना संभागीय आयुष कार्यालय स्तर पर की जाकर 03 माह का प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 07.11.2024 से संभागीय मुख्यालयों पर स्थापित विभागीय आयुर्वेद महाविद्यालय में संचालित किया जा रहा है।

उक्त संचालित प्रशिक्षण सत्र के दौरान नवनियुक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के वेतन आहरण हेतु संभागीय आयुष कार्यालय को योजना क–038–2210–02–101–0101, 0102,0103–0460–11 से आई.एफ.एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर में मेपिंग किया जाकर संलग्न परिशिष्ट–1 अनुसार कॉलम 03 में अंकित डी.डी.ओ. कोड में कॉलम 04 अनुसार वर्णित रिक्त पदों को कॉलम 07 में अंकित डी.डी.ओ. कोड में कॉलम 08 अनुसार वर्णित पदों को 03 माह की समयावधि हेतु अंतरित किये जाने एवं प्रशिक्षण सत्र के उपरांत अस्थायी रूप से अंतरित किये गये पदों को पुनः पुर्वानुसार डी.डी.ओ. कोड में पुर्नस्थापित (अंतरित) किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त स्वीकृति म0प्र0 शासन वित्त विभाग के यू.ओ.क 10/आर.07/ब–06/चार दिनांक 07.01.2025 के अनुक्रम में जारी की जाती है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

8/1/2025

(रंजना देवड़ा)
उप सचिव
म0प्र0 शासन आयुष विभाग,

पृ.क्रमांक /एफ 1–1–1/0001/2024/1/59/52 भोपाल, दिनांक 08/01/2025

प्रतिलिपिः–

1– महालेखाकार म0प्र0 ग्वालियर ।
2– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन वित्त विभाग मंत्रालय भोपाल।
3– निज सचिव, प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन आयुष विभाग मंत्रालय भोपाल।
4 आयुक्त, कोष एवं लेखा पर्यावास भवन भोपाल।
5– आयुक्त, आयुष संचालनालय, म.प्र. भोपाल।
6– संभागीय आयुष अधिकारी, संभाग ....
7– जिला आयुष अधिकारी, ...
8– आदेश फाइल।

–की ओर सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।

8/1/2025

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन,
आयुष विभाग

आवक क्र............................ दिनांक 20/01/25
कक्ष क्रमांक 5 ...

वरि.निज सचिव

आयुक्त
संचालनालय आयुष

छब्बीस-२ सचिवालय

का विभाग

विषय: विभागीय सरंचना में स्वीकृत आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण अवधि में वेतन आहरण हेतु पदों का अस्थाई अतंरण किए जाने के संबंध में।

—00—

आर न. 07 / ब–6 / चार / 2025

विभागीय प्रस्ताव के अनुक्रम में योजना कमांक 0460 अंतर्गत स्वीकृत पदों के विरुद्ध (आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी संख्या 523) नव नियुक्त कार्मिकों की वेतन व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत प्रशिक्षण अवधि में मात्र वेतन आहरण हेतु जिला स्तर पर स्वीकृत पदों को विशिष्ट समयावधि (03 माह) के लिये संभागीय कार्यालयों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालयों के साथ IFMIS में अंतरित करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। निर्धारित अवधि उपरांत उक्त सभी पद सेवाभर्ती नियमों में पद स्वीकृति अनुसार (पूर्वानुसार) ही जिला स्तर पर वापस अंतरित होगें। उपरोक्तानुसार आंतरित पदो की मैपिंग IFMIS मे किये जाने हेतु कोष एवं लेखा कार्यालय से कराये जाने का भी परामर्श है।

(प्रमुख सचिव, वित्त द्वारा अनुमोदित)

07/01/25

(शालिनी भारसकरे)
अवर सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
पृ.क्रमांक 10 / आर 07 / ब–6 / चार
दिनांक 07 / 01 / 2025

प्रमुख सचिव
आयुष विभाग

तदानुसार आदेश जारी कर एक लिंक अधिकारी द्वारा Treasury से mapping की कार्यवाही एवं संभागीय कार्यालय द्वारा आगे आदेश तक follow किया जावे।

8/01

क्र. 415 / प्रस / आयुष
दिनांक 07/01/2025

— DS